सर्विलांस सेल ने बरामद किए 66 गुमशुदा स्मार्टफोन

जासं, श्रावस्ती : सर्विलांस सेल की टीम ने 66 गुमशुदा मोबाइल फोन को बरामद किया। सोमवार को पुलिस कार्यालय सभागार में एसपी प्राची सिंह ने बरामद मोबाइल फोन को उनके स्वामियों को सौंप दिया।

एसपी ने बताया कि गुमशुदा मोबाइल फोन के संबंध में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण/मोबाइल बरामदगी के लिए सर्विलांस सेल को निर्देशित किया गया था। खोए हुए मोबाइल फोन की शीघ्र बरामदगी कर उनके मालिकों को सिपुर्द करने के निर्देश दिए गए थे। एएसपी प्रवीण कुमार यादव व सीओ अपराध संतोष कुमार के निर्देशन में सर्विलांस टीम ने खोए हुए प्रत्येक मोबाइल की लगातार ट्रैकिंग कर जिले के विभिन्न स्थानों से 66 मोबाइल फोन बरामद किए। उन्होंने बताया कि सोमवार को पुलिस कार्यालय में मोबाइल फोन मालिकों को बुलाकर उनके फोन को सौंप दिया गया।

पुलिस कार्यालय में बरामद गुमशुदा मोबाइल फोन को उसके स्वामी को सौंपती एसपी प्राची सिंह (दाएं)● जागरण

एसपी ने सभी मोबाइल स्वामियों को साइबर क्राइम से बचाव के टिप्स दिए व साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया। बरामद करने वाली टीम में सर्विलांस सेल के प्रभारी निरीक्षक चंद्रहास मिश्रा, आरक्षी अभिषेक कुमार सिंह, नवनीत प्रकाश, अंकित सिंह शामिल रहे।

गैर इरादतन हत्या के दोषियों को दस-दस वर्ष की कैद

जासं, श्रावस्ती : गैर इरादतन हत्या के 15 वर्ष पुराने मामले में तीन आरोपितों को दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 34-34 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) केपी सिंह ने बताया कि भिनगा क्षेत्र के सेमरी गांव में 31 अगस्त 2008 को दिनेश कुमार अपनी पत्नी कविता के साथ घर के दरवाजे पर पशुओं का चारा काट रहे थे। इसी दौरान दिन में बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर गांव के ही हरिनारायण, अंगद तिवारी व रामनारायण आ गए और गालियां देने लगे। जब उन्होंने गाली देने से मना किया तो तीनों लोगों ने लाठी-डंडों से उनके ऊपर हमला कर दिया। बचाव में दौड़ी उनकी पत्नी पर भी हमलावरों ने हमला कर दिया। तीन सितंबर 2008 को इलाज के दौरान दिनेश की मृत्यु हो गई। इस मामले में गैर इरादतन हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय पर प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव ने तीनों आरोपितों को दोषसिद्ध ठहराते हुए दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।